न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या(22/2006) 60/2007

1. श्री शंकरलाल पुत्र स्व0 कल्याणमल शर्मा जाति खाती
2. श्री गजानन्द पुत्र स्व0 कल्याणमल जाति खाती
3. श्री रामेश्वर पुत्र स्व0 कल्याणमल जाति खाती
4. श्री जगदीश पुत्र स्व0 कल्याणमल जाति खाती
5. भँवरलाल मृतक वारिसान
   5/1. श्रीमती सन्तरा पत्नि भँवरलाल
   5/2. सुरेश पुत्र भँवरलाल
   5/3. पप्पू पुत्र भँवरलाल

समस्त निवासी ग्राम सराधना तहसील व जिला अजमेर .....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार। .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1.श्री सुशील कुमार व्यास अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक — 30.05.2017

अपीलान्ट की अपील के संक्षिप्त के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सराधना स्थित आराजी खसरा नं0 1896 पुराना व नया 2182 में से रकबा 0—12—00 (1020.83 वर्ग गज) भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.01.1980 को अपीलान्ट्स सं0 1 लगायत 5 द्वारा खातेदार नारायण पुत्र जीवण जाट निवासी सराधना से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया जिस पर आज दिन अपीलार्थीगण काबिज चले आ रहे है। अपीलार्थीगण द्वारा खरीदशुदा प्रश्नगत भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यक रूपान्तरण की कार्यवाही कर कुल राशि 12642/— रूपये जमा भी करवा रखे है। किन्तु कोई सन्तोषप्रद कार्यवाही नहीं हुई। इस दौरान अपीलान्ट्स द्वारा क्रय शुदा आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो इस आक्षेप के खारिज कर दिया कि "क्रय शुदा भूमि अपखण्डन की श्रेणी में आती है। अतः नियमन होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है।" इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सराधना स्थित आराजी खसरा नं0 1896 पुराना व नया 2182 में से रकबा 0—12—00 (1020.83 वर्ग गज) भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.01.1980 को अपीलान्ट्स सं0 1 लगायत 5 द्वारा खातेदार नारायण पुत्र जीवण जाट निवासी सराधना से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया जिस पर आज दिन अपीलार्थीगण काबिज चले आ

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

रहे है। अपीलार्थीगण द्वारा खरीदशुदा प्रश्नगत भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यक रूपान्तरण की कार्यवाही कर कुल राशि 12642/– रूपये जमा भी करवा रखे है। किन्तु कोई सन्तोषप्रद कार्यवाही नहीं हुई। इस दौरान अपीलान्ट्स द्वारा क्रय शुदा आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो इस आक्षेप के खारिज कर दिया कि क्रय शुदा भूमि अपखण्डन की श्रेणी में आती है। अतः नियमन होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है। जबकि राज्य सरकार द्वारा अपखण्डन हेतु धारा 42 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 11.11. 1992 को विलोपित किया जा चूका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी निर्णय दिनांक 8.1.1998 में "the amended provisions are priamafacie restrospective in nature and the said amendmants go in the root of the matters" माना है। (आर.बी.जे.98 पेज 323) ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की विधिवत जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं कर उक्त निर्णय पारित करने में भूल की है, और नियमों की विधिक पालना नहीं की है। बेचान बाबत् कोई विवाद नहीं है। बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र से हुआ है एवं वर्तमान में अपखण्डन लागू नहीं है। इसलिऐ अपील स्वीकार कर आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.04.2006 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) को आदेशित करे कि वे अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रकबा 0–12–00 (1020.83 वर्ग गज) भूमि का बेचान वर्ष 1980 में पंजीकृत विक्रय पत्र से हुआ है। तत्समय धारा 42 के प्रावधान लागू थे जिसे बाद में राज्य सरकार के द्वारा विलोपित किया जाकर अपखण्डन के मामले को नियमित कराने हेतु समय समय पर अवधि निर्धारित की गई। लेकिन अपीलान्ट्स द्वारा क्रय शुदा भूमि के अपखण्डन को मियाद अवधि दौरान नियमित नहीं कराया है। प्रश्नगत भूमि को बिना नियमित कराये अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स अपील के जरिऐ वांछित अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधिवत है इसमें कोई कानूनी भूल नहीं किये जाने से अपील खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रकबा 0–12–00 (1020.83 वर्ग गज) भूमि का सम्बन्धित खातेदार विक्रेताओं द्वारा वर्ष 1980 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलान्ट्स को बेचान किया गया है। तत्समय टुकडों में बेचान पर धारा 42 के प्रावधान लागू थे। प्रश्नगत बेचान को अपखण्डन मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2006 पारित किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक भूल अथवा तत्समय लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट नहीं है। हालांकि बाद में राज्य सरकार द्वारा इन प्रावधानों को विलोपित कर दिया गया, लेकिन अपखण्डन के मामलों को नियमित कराने हेतु समय. समय पर अवधि नियत की गई। इस दौरान अपीलान्ट को अपना उपरोक्त प्रकरण सक्षम अधिकारी से नियमित कराना था, जो समयावधि में नियमित नहीं कराया गया है। जिसके नियमन हेतु अपीलान्ट स्वतन्त्र है। अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर स्वीकार करने का कोई ठोस कानूनी आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/5/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner